सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 18/2014 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2014/00034

अनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री हेमराज पिता किशना दर्जी, निवासी बस्सी सामचोत, तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर
2. श्रीमती जशोदा पत्नी हेमराज, निवासी बस्सी सामचोत, तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 26-04-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार सलुम्बर द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा बस्सी सामचोत, तहसील सलुम्बर के आराजी नम्बर 5259/2277, रकबा 0.8700 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में श्री हेमराज पिता किशना एवं जशोदा पत्नी हेमराज दर्जी के नाम दर्ज है। ग्राम पंचायत बस्सी सामचोत के उक्त आराजी पर अन्य व्यक्ति श्री नाथु सिंह पिता प्रताप सिंह राजपूत का कब्जा होकर पत्थर का कोट व थुअर की बाड लगी हुयी है। मौके पर भूमि पडत होकर आवंटी का आवंटन से आज दिनांक तक कब्जा नही होना मौतबिरान द्वारा जाहिर किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के पक्ष में किये गये कथित आवंटन को निरस्त किया जाकर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षीगण की ओर से श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा गया, किन्तु मामले में जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के वाबजूद जवाब विपक्षीगण अप्राप्त रहने से प्रकरण में जवाब विपक्षीगण बन्द किया गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर से आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 533/2002 तलब की जाकर प्रकरण में एक तरफा बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। जिन्होनें अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षीगण को आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा

होना, मौके पर भूमि पडत होना, आवंटन शर्तो की पालना न होना, जनसुनवाई प्रार्थना पत्र, ग्राम पंचायत की रिपोर्ट, खसरा गिरदावरी के आधार पर विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त करने की मांग की।

हमने राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, आवंटन पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन किया एवं उसमे वर्णित तथ्यों पर मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख द्वारा जांच रिपोर्ट उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षीगण को किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार सलुम्बर, विधायक, विकास अधिकारी, प्रधान, सरपंच आदि के हस्ताक्षर हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर के हस्ताक्षर मौजूद है। आवंटन के पश्चात विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट पर पाया गया है। इस प्रकार आवंटन में किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रथम दृष्टया नही पाया जाता है, किन्तु आवंटन के पश्चात् खसरा गिरदावरी एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने पर गैर खातेदार (आवंटीगण) द्वारा कब्जा काश्त किया जाना प्रकट नही होता है, अर्थात विपक्षीगण द्वारा आवंटन के पश्चात् आवंटन नियमों की पालना नही की गयी है। आवंटन आदेश में वर्णित शर्तो के अनुसार आवंटी को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत एवं शेष भूमि द्वितीय वर्ष में काश्त करनी अनिवार्य थी, किन्तु आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की जाने से उक्त आराजी पर आवंटी का नाम आज भी गैर खातेदारी हक से दर्ज होना खसरा गिरदावरी एवं नकल जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। मामले में तहसीलदार द्वारा आपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि विपक्षीगण को आवंटित आराजीयात पर अन्य व्यक्ति श्री नाथु सिंह पिता प्रताप सिंह का कब्जा है। इस संबंध मे यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी तहसीलदार सलुम्बर द्वारा उक्त भूमि पर अन्य व्यक्ति का पुराना कब्जा होना बताया गया है किन्तु उसके पास पुराना कब्जा होने की पुष्टि में कोई दस्तावेज जैसे धारा 91 के नोटिस आदि पेश नही किये गये है जिससे विवादित आराजीयात पर अन्य व्यक्ति श्री नाथु सिंह पिता प्रताप सिंह का पुराना कब्जा होना भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर हम विपक्षीगण को आवंटित कथित आराजी पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा किया गया आवंटन, आवंटन शर्तो की पालना के अभाव में खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में मौजा बस्सी सामचोत तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 5259/2277 पर किया गया आवंटन दिनांक 04.06.2002 को आवंटन शर्तो की पालना एवं कब्जा काश्त के अभाव में खारिज किया जाता है तथा भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सलुम्बर को प्रकरण में निर्देश दिये जाते है कि वर्णित आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने वाली भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर